उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध कौंसिलें

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ

(उ0प्र0 सरकार द्वारा स्थापित)

डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नीशियन (2 वर्षीय)
प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के मानक

प्रास्पेक्ट्स

स्थापित -1926

फोन : 0522-2238846, 3302100, फैक्स : 0522-2236600
ई–मेल : inspection@upsmfac.org
वेबसाइट : www.upsmfac.org

डिप्लोमा इन डायलसिस टेक्नीशियन :

इस हेतु स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर ऑन–लाईन आवेदन कर सकते हैं। स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

गुर्दो की डायलेसिस, एक महत्वपूर्ण व संवेदनशील तकनीकी है। इसका प्रयोग काफी लम्बे समय से हो रहा है। प्रदेश में डायलेसिस से सम्बन्धित टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं हैं। न ही कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था। किडनी की डायलेसिस के लिये भी नई–नई तकनीक व अनेकों मशीन उपलब्ध हैं पर प्रशिक्षण सर्व साधन सम्पन्न संस्था को दिया जायेगा, जहां पर छात्रों को सभी तरह की मशीनों पर कार्य करने की सुविधा प्राप्त हो सके तथा मशीनों के आपरेशन में आने वाली समस्याओं के समाधान में वे योग्यता हासिल कर लें।

डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नीशियन का कोर्स 2 वर्ष का है। जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को इस विषय से संबंधित विशेष व मानव शरीर से संबंधित सभी विषयों में सामान्य सैद्धान्तिक व प्रायोगिक (Theoretical & Practical) ज्ञान उपलब्ध कराया जायेगा। इन छात्रों से अपेक्षित होगा कि वे 2 वर्ष क अन्त तक इतना ज्ञानार्जन कर लें कि डायलेसिस मशीनों के संचालन में अपना सक्रिय योगदान कर सकें। इन्हें आधुनिकतम उपलब्ध मशीनो की भी जानकारी प्रदान कराई जायेगी। जिसमे कि वे अपने ज्ञान अनुभव व मशीनो के सहयोग से मरीजों को लाभ पहुँचायेंगे।

अर्ह आवेदक :–

संस्था/सोसाइटी/एन.जी.ओ./ट्रस्ट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। समस्त परिसम्पत्तियाँ सम्बन्धित संस्था/एन.जी.ओ./सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम होनी चाहिये।

स्कूल का स्टेटस –

शासकीय/निजी/शासकीय सहायता प्राप्त।

आवेदन शुल्क – (वापस नहीं होगा/अहस्तांतरणीय/एक बार ही जमा होगा)

1. ₹ 2,50,000+(18% GST) आवेदन–पत्र/रजिस्ट्रेशन/निरीक्षण शुल्क आन–लाईन www.upsmfac.org पर आन–लाईन आवेदन पत्र भरने के समय देय होगा)

मानक –

भूमि :

प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि एवं चिकित्सालय की भूमि आवेदित संस्था सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी के नाम होनी चाहिये।

प्रशिक्षण केन्द्र		प्रशिक्षण केन्द्र व अस्पताल की दूरी
भवन प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 6000 वर्गफुट एक विषय हेतु। एक से अधिक विषय हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए 2000 वर्गफुट भवन अतिरिक्त।		प्रशिक्षण केन्द्र व अस्पताल की दूरी 5 किमी. से अधिक न हो। दोनों एक ही आवेदक संस्था के नाम हों।

भवन प्रशिक्षण केन्द्र :

प्रशिक्षण भवन कुल निर्मित क्षेत्र	6000 वर्ग फुट
प्राचार्य कक्ष	200 वर्ग फुट
केन्द्र कार्यालय	200 वर्ग फुट
रिसेप्शन कक्ष	200 वर्ग फुट
कक्षा (2 कक्ष)	500 वर्ग फुट प्रति कक्ष (कुल 1000 वर्गफुट)
प्रयोगशाला – 1 (एनॉट्मी एवं फिजियॉलाजी)	200 वर्ग फुट
प्रयोगशाला–2 (डैमो ओ0टी0)	300 वर्ग फुट
लाइब्रेरी	400 वर्ग फुट
कामन रूम (महिला)	150 वर्ग फुट
कामन रूम (पुरूष)	150 वर्ग फुट
जनसुविधायें (महिला/पुरूष)	100 वर्ग फुट
भंडार कक्ष/गोपनीय कक्ष	200 वर्ग फुट
अडिटोरियम/कामन हाल	2000 वर्ग फुट
कम्प्यूटर कम अडियो, इन्टरनेट के साथ	300 वर्ग फुट
टायलेट एवं सर्कुलेशन एरिया	600 वर्ग फुट

डायलेसिस से सम्बन्धित सुविधायें (प्रशिक्षण केन्द्र में) (शेष अस्पताल में अलग होगी) :–

सुविधा	क्षेत्रफल
कुल क्षेत्रफल	1000 वर्ग फुट
– रोगियो के बैठने की सुविधा	
– शौचालय	
– पानी की व्यवस्था	
– पंखे/कूलर की व्यवस्था	
– डायलेसिस कक्ष का डमी कक्ष जहां डायलेसिस करने का तरीका चित्रों, आडियो–वीडियो के माध्यम से सिखाया जाय। मुख्य डायलिसिस कक्ष अस्पताल में होगा।	
अन्य	300 वर्ग फुट

कैम्पस – अस्पताल एवं प्रशिक्षण केन्द्र एक ही कैम्पस में हो तो बेहतर है। यदि अलग–अलग हो तो एक ही मालियत में हो और उनके बीच की दूरी 5 कि.मी. से अधिक न हो।

आस–पास का विकास – सेन्टर के आस–पास का वातावरण ग्रहणीय हो, बहुत शोर–गुल न हो। वातावरण/पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।

खेल मैदान/जिम्नेजियम – अनिवार्य नहीं है, हो तो उचित होगा।

विद्युत व्यवस्था – नियमित पर्याप्त विद्युत कनेक्शन के अलावा समुचित शक्ति का जनरेटर उपलब्ध होना चाहिये।

कैन्टीन/कैफेटेरिया – स्वयं का हो या Sublet किया गया हो।

जल – पीने के पेय जल व जन सुविधाओं के लिये समुचित सुविधायें हों।

आवागमन– आवागमन के समुचित साधन हो।

हास्टल – पैरामेडिकल प्रशिक्षण में हास्टल अनिवार्य नहीं है। यदि उपलब्ध कराया जाता है तो छात्र हित में होगा।

अस्पताल के भवन से संबंधित विवरण :–

प्रशिक्षण केन्द्र से दूरी–5 कि.मी. क अन्दर हो। भवन के अन्दर निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं हों।

क्षेत्र	क्षेत्रफल
अस्पताल भवन	50 विस्तरों का अस्पताल व साज–सज्जा के अनुसार हो, 05 डायलेसिस यूनिट हो।
रिसेप्शन	
ओ0पी0डी0	80 मरीज प्रतिदिन/ एकल में 30 मरीज प्रतिदिन
अंतः रोगी कक्ष	50 विस्तरों का।
आपरेशन थियेटर	
मेजर	1
माइनर	2
स्टरलाइजेशन कक्ष	1
आकस्मिक चिकित्सा कक्ष –	
इमरजेन्सी कक्ष	सुसज्जित हो
इमरजेन्सी सुविधाएं	सुलभ हो
एक्स–रे सुविधा	उपलब्ध हो (अनिवार्य नहीं)
क्लीनिकल लेबोरेटरी	उपलब्ध हो
जनसुविधाएं (शौचालय)	उपलब्ध हो
विस्तर	उपलब्ध हो
फायर फाइटिंग इक्युपमेन्ट	उपलब्ध हो
पेयजल	उपलब्ध हो

डायलेसिस विभाग (यूरोलाजी विभाग) लगभग 1500 वर्गफुट में होः–

क्रम सं.	सुविधाएं	
1.	ओ.पी.डी. मरीजों के बैठने की सुविधाएं, समुचित हवा पानी का प्रबन्धन हो	
2.	किडनी रोगियों को आपरेशन के उपरान्त भर्ती करने की व्यवस्था हो (यदि आपरेटिव यूरोलाजी हो तो)	
3.	आपरेशन थियेटर माइनर (फर्निश्ड)	1
4.	डायलेसिस कक्ष न्यूनतम 5 मशीनों के साथ	1
5.	पेरीटोनियल डायलेसिस की व्यवस्था	1

6.	यूरोलाजी की जांच कक्ष	1
7.	शिक्षण कक्ष	1
8.	इमरजेन्सी चिकित्सा कक्ष	1

अस्पताल – विशेषज्ञता के अनुरूप स्थायी अथवा विजिटिंग चिकित्सक, इनका उपयोग पठन–पाठन में किया जा सकता है।

वाहन – यदि स्कूल व ट्रेनिंग सेन्टर अलग–अलग हैं तो छात्रों के आवागमन हेतु वाहन आवश्यक है।

वित्तीय संसाधन :

- आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति का आंकलन निरीक्षक करेंगे।
- भूमि–भवन के अलावा आवेदक के नाम फिक्सड डिपाजिट हो।
- दो वर्ष की बैलेन्स शीट अथवा बैंक एकाउन्ट भी प्रस्तुत करें।
- भूमि, भवन आदि एसेट्स भी हों।

फैकल्टी

टीचिंग फैकल्टी – 30 छात्रों की भर्ती क्षमता तक के लिये।

क्र. सं.	फैकल्टी	योग्यता	संख्या
1.	प्राचार्य	एम.बी.बी.एस. चिकित्सक या यूरोलाजिस्ट/ पैरामेडिकल विषय विशेष में पोस्ट ग्रेजुएट	1
2.	वरिष्ठ शिक्षक	उपरोक्तानुसार + 5 वर्ष अनुभव	1
3.	शिक्षक	डिप्लोमा या डिग्रीधारक	2
		कुल	**4**

फैकल्टी

प्रशासनिक

क्र.सं.	फैकल्टी	संख्या
1.	क्लर्क कम अकाउंटेन्ट	1
2.	कम्प्यूटर आपरेटर	1
3.	लाइब्रेरियन/स्टोर इंचार्ज	1
4.	चतुर्थ श्रेणी	2
5.	सफाई कर्मचारी	2
	कुल	**7**

फ्लो चार्ट :– कब, क्या, कैसे ?

(कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। उचित होगा कि मानकों का अध्ययन भली–भांति कर लें और यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें कि आपके पास मानकों के अनुसार सुविधायें उपलब्ध हैं या नहीं)

आवेदन करने के पूर्व आन–लाईन प्रास्पेक्टस का अध्ययन करें।
आवेदन पत्र आन लाईन **www.upsmfac.org** पर उपलब्ध है। पंजीकरण एवं निरीक्षण शुल्क ₹ **2,50,000**+(18% GST) (₹ **2,50,000**+(18% GST) का शुल्क आन लाईन आवेदन पत्र भरने के समय देय होगा)
आन–लाईन आवेदन फार्म को पूर्ण रूप से भरकर समस्त सम्बन्धित दस्तावेज लगाकर फैकल्टी कार्यालय में जमा करें।
आवेदन पत्र की जांच फैकल्टी स्तर पर की जायेगी।
जाँच में उपयुक्त पाये जाने पर प्रस्तावित केन्द्र का निरीक्षण नियुक्त निरीक्षकों से कराया जायेगा।
निरीक्षण आख्या एक्जीक्यूटिव/शासी समिति से अनुमोदित करायी जायेगी।
निरीक्षण आख्या चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनुमति हेतु भेजी जायेगी।
उ0प्र0 शासन की अनुमति के उपरान्त द्वितीय निरीक्षण के पश्चात् ही केन्द्रों को छात्र भर्ती करने की अनुमति होगी।
शासी समिति द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क प्रतिवर्ष प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कार्यालय में जमा किया जायेगा।
इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट एवं इंडियन नर्सिंग कौंसिल एक्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी परीक्षक एवं पंजीकरण संस्था है।

छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया :–

प्रशिक्षण में प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा ही की जानी है। उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी का मात्र प्रतिनिधित्व रहेगा जिसमें कि प्रवेश पक्रिया में फैकल्टी के नियमों का पालन हो सके। उचित होगा कि 100 आवेदको के होने पर लिखित व मौखिक प्रवेश परीक्षा ले ली जाये। कम आवेदनों की दशा में केवल मौखिक प्रवेश परीक्षा से कार्य चलाया जा सकता है।

यदि प्रशिक्षण केन्द्र में अनेकों प्रशिक्षण हैं तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाये व मौखिक परीक्षा के समय छात्र प्रायोरिटी पूछ ली जाये व मेरिट के अनुसार प्रदान की जायेगी।

अर्हता :–

इन्टर विज्ञान वर्ग (जीव विज्ञान व गणित) के उत्तीर्ण छात्र अर्ह हैं।

फैकल्टी के अलावा अन्य गैर मान्यता प्रशिक्षण नहीं :–

प्रशिक्षण केन्द्रों पर उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के ही प्रशिक्षण चलाये जाने की अनुमति होगी। **उ0प्र0 शासन की अनुमति प्राप्त नहीं होने वाले प्रशिक्षणों को किसी भी दशा में अनुमति प्रदान करना संभव नहीं है। यदि संस्थायें फैकल्टी अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं होने वाले प्रशिक्षण चलाती हैं तो उन केन्द्रों से फैकल्टी अपने प्रशिक्षणों की मान्यता समाप्त कर देगी।**

भर्ती क्षमता :–

प्रत्येक केन्द्र को सामान्यतः इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार पर अधिकतम 30 छात्र (प्रति डायलेसिस मशीन चार छात्र तक) प्रति वर्ष प्रशिक्षण क्षमता हेतु मान्यता प्रदान की जा सकती है। इससे अधिक भर्ती क्षमता का निर्धारण संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं व क्षमता को देखते हुए किया जायेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की सुविधायें सुलभ हों।

प्रशिक्षण अवधि :–

डिप्लोमा इन डायलेसिस प्रशिक्षण की कुल अवधि 2 वर्ष की होगी। पूर्ण प्रशिक्षण को निम्नलिखित प्रकार से बाँटा गया है :

विन्दु-1 प्रतिदिन 6 घंटे की कक्षायें एवं प्रेक्टिकल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
(प्रति सप्ताह 36 घंटे)

विन्दु-2

1.	रविवार	52 दिन
2.	वार्षिक अवकाश	20 दिन
3.	राजपत्रित अवकाश,	20 दिन
4.	अन्य अवकाश	13 दिन

5. प्रिपरेशन लीव 10 दिन,

.....

एक वर्ष में **115 दिन अवकाश**

.....

<u>कक्षा एवं प्रायोगिक कार्य के विषय</u> :

सैद्धान्तिक (थ्योरी)

<u>प्रथम वर्ष</u> 750 घंटे

1. Anatomy & Physiology
   Microbiology of the Human body &
   Common Diseases.
2. Structure and functioning of kidney
3. Diseases of the Kidney, Renal failure
   Instruments & Equipment used in
   Dialysis and investigation.
4. Dialysis (Historical Background)
   Anticoagulant
5. Technodialysis machines
6. Complication and management of complication during dialysis.

प्रायोगिक प्रथम वर्ष – (750 घंटे)

1. म्यूजियम
2. न्यूट्रीशन
3. पेरीटोनियल/हीमो डायलेसिस डिमान्स्ट्रेशन
4. आकस्मिक चिकित्सा

द्वितीय वर्ष – (750 घंटे)

1. Assessment of adequacy of dialysis.
2. Emergencies
3. Sterite techniques in dialysis
4. Initation of dialysis
5. Vascular in dialysis
6. Peritoneal Dialysis, Principle/ Equipment/Access
7. Solute Transport
8. Peritonitis and exit site infection

<u>प्रायोगिक द्वितीय वर्ष–</u> (750 घंटे)

- न्यूट्रीशन, प्रेक्टिकल डिमान्स्ट्रेशन ऑफ पेरीटोनियल डायलेसिस
- प्रेक्टिकल डिमान्स्ट्रेशन ऑफ हीमो डाायलेसिस
- प्रेक्टिकल डिमान्स्ट्रेशन ऑफ (Continuous ambulatory periotneal Dialysis) C.A.P.D.
- इमरजेन्सी इलाज।

मूल्यांकन :–

इन्टरनल असेसमेन्ट

प्रशिक्षण केन्द्रों प्रत्येक छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाय व न्यूनतम अंक प्रदान किये जाये। मुख्य परीक्षा के समय छात्र का नाम फैकल्टी को तभी प्रेषित किया जाय, जब उसकी आंतरिक मूल्यांकन व उपस्थिति संतोषप्रद हो। ये अंक अन्तिम परीक्षा में नहीं जोड़े जायेंगे।

परीक्षा की योजना–

परीक्षा

प्रथमवर्ष

प्रश्नपत्र	विषय	कुल अंक	उत्तीर्णांक	परीक्षा अवधि
प्रथम	एनाटामी/फिजियोलाजी	100	50	3 घंटे
द्वितीय	किडनी/रीनल डिसीजेज बेसिक्स ऑफ डायलेसिस	100	50	3 घंटे
प्रायोगिक		100	50	3 घंटे

द्वितीय वर्ष

प्रश्नपत्र	विषय	कुल अंक	उत्तीर्णांक	परीक्षा अवधि
प्रथम	हीमाडायलेसिस व ट्रीटमेन्ट ऑफ काम्पलीकेशन	100	50	3 घंटे
द्वितीय	पेरीटोनियल व डायलेसिस ट्रीटमेन्ट ऑफ काम्पलीकेशन एन्टीकोएगुलैन	100	50	3 घंटे
प्रायोगिक	उपरोक्तानुसार	100	50	3 घंटे

परीक्षा में बैठने की अनुमति –

मुख्य परीक्षा

स्टेट मेडिकल फैकल्टो द्वारा केवल उन्हीं छात्रों को वार्षिक परीक्षा में बैठाया जायेगा जो प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी/प्राचार्य द्वारा निम्नलिखित प्रमाणित किया जायेगा।

1. छात्र ने वर्ष में कम से कम 11 माह का लिखित व प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
2. आंतरिक मूल्यांकन व उपस्थिति (75%) संतोषप्रद हो।
3. केन्द्र प्रभारी द्वारा छात्र के अच्छे कार्य एवं व्यवहार को प्रमाणित किया गया हो।
4. थ्योरी व प्रैक्टिकल में अलग–अलग पास होना अनिवार्य होगा।

पूरक परीक्षा

यदि प्रशिक्षणार्थी थ्योरी अथवा प्रैक्टिकल में फेल होगा तो उसे प्रशिक्षण में अगले वर्ष की पढ़ाई करने दी जायेगी किन्तु अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के पूर्व उसे प्रथम वर्ष की परीक्षा फैकल्टी द्वारा पूरक परीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा।

प्रैक्टिकल : प्रशिक्षण केन्द्र की प्रयोगशालाओं से ही प्रैक्टिकल सम्पन्न कराये जायेंगे।

परीक्षक : यथासम्भव आवश्यकतानुसार आंतरिक के अलावा बाहय परीक्षक भी नियुक्त किये जा सकते है।

पेपर सेटिंग : फैकल्टी द्वारा चलाये जा रहे संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रो में कार्यरत टीचिंग फैकल्टी से ही पेपर सेटिंग करायी जायेगी। पेपर, पाठ्यक्रम में से ही बनाये जायेंगे। इस कार्य हेतु अनुभवी शिक्षकों को वरीयता दी जायेगी।

परीक्षक :

टीचिंग फैकल्टी के शिक्षकों में से होंगे।
प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ (Objective Type) लघुउत्तरीय व विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न होंगे।
प्रत्येक विषय व उपविषय को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

पुस्तकों की सूची –

1- Replacement of renal functions by dialysis Drukker & Person.

2- Dialysis Therapy : Nissension and Fine : Mosbey Publications.

3- Texbook on Dialysis by John T. Dugirdas.

4- Haemodialysis for Nurse & Robert Uldall.

उपकरण –

1- Dialysis Haemodialysis

2- Multichannel Cardiac Monitor

3- Blood Gas analyzer

4- (Sodium) Na, (Potassium) K Analyzer

सामान्य पुस्तकें –

1	Ajmani	Embalming: Principles and Legal Aspects, 1/e
2	Gandotra	Gross Anatomy workbook, 1/e
3	Jain	General Anatomy for Students, 2/e
4	Kapur	Ess. Of Surface & Radiological anatomy, 2/e
5	Kant	Embryology for Medical Students
6	Singh	Essentila of Anatomy, (all in four colour) 1/e, 2002
7	Singh	A TB of Human Osteology, 2/e, 2002

8	Feneis	Pocket Atlas of Human Anatomy
9	Panda	Concise Pocket Medical Dictionary, 1/e
10	Panda	Jaypee's Dental Dictionary,1/e
11	Panda	Jaypee's Nurses' Dictionary, 1/e
12	Rikh	Pocket Medical English Hindi Dictionary, 14/e, 1/e Ind.
13	Dorland	Dorland dictionary, 29/e 2000
14	Dorland	Dorland's Pocket Medical Dictionary, 26/e, 2001
15	Bijlani	Understanding Medical Physiology, 3/e, 2002
16	Ratan	Handbook of Human Physiology, 7/e
17	Despopoulos	Color Atlas of Physiology, (Sp. Price)
18	Mahajan	Methods in Biostatistics, 6/e
19	Prabhakaran	Biostatistics , 1/e,2002
20	Rao	Biostatistics: The Manual of Statistical Methods for use in Health & Nutrition, 1/e
21	Singh	Elementary Statistics for Medical Workers, 1/e
22	Dave	Emergency Medical Services & Disaster Management,1/e,2001
23	Dogra	aids to Clinical Medicine
24	Garg	Synopsis of AIDS,2/e
25	Gupta	Manual of Medical Emergencie,2/e
26	Krishna Das	TB of Medicine ,4/eVol.I,II,2002
27	Mohaptra	Occupation, Health Hazards and Remedies
28	Mogli	Medical Records Organization and Management
29	Prasad	TB of Medicine (Hindi)
30	Suratt	Manual of Medical Procedures,1/e Ind.
31	Nambi	Psychiatry for Nurses ,1/e
32	Ray	Yogic Exercises :Physiologic and Psychic Processes 1/e
33	Bhatia	Rabies the Killer Disease,1/e
34	Chaube	Consumer Protection and The Medical Profession
35	Francis	Medical Ethics 1/e
36	Greenberg	The Birth of a Father 1/eInd.
37	Gupta	Addiction 1/e
38	Gupta	Manual of First Aid 2/e Hindi
39	Gupta	Manual of First Aid: Manag. of General Injuries, Sports Injuries & Common ailments 5/e
40	Gupta	Outline of Sports medicine 2/e
41	Jaiswal	Consumer Protection act and The Medical Practitioners 1/e
42	Meador	A Little Book of Doctors' Rules 1/e 1/e Ind
43	Mogli	Medical Records Organization and Mangement
44	Moss	Health Manual A Self Help Guide 1/e Ind
45	Nayyar	Tell Me About Me : The Living Machine-Basic human Anat. 1/e
46	Panda	Handbook for Medical Representatives 1/e
47	Prakash	Medical Adult
48	Singhals	Medical Ethics
49	Urs	Networking Organisation of Health Science Laboratories
50	Bijlani	Nutrition: A Practical Approach 1/e
51	Chandra	Poshan& Swastha,1/e (Hindi)
52	Ghosh	Nutrition and Child care: A Practical Guide 1/e (Hindi)
53	Gupta	Food & Nutrition: Facts and Figures 5/e
54	Indrani	Ess. of Nutrition and Therapeutic Diet (2 Vols)

55	Mazumdar	Essentials of Human Nutrition
56	Salins	Nutrition Guide 1/e
57	Virk	Lecture notes in Nutrition
58	Boyle	Personal Nutrition 4/e 2001
59	Mahan	Krauses Food, Nutrition and Diet Therapy 10/e
60	Way	Nutrition Secrets 1/e 1/e Ind
61	WHO	Guidelines for training Community Health Workers in Nutri.
62	WHO	Nutrition Learning Packages 1/e Ind
63	Williams	Basic Nutrition and Diet Therapy11/e

प्रशासनिक विभाग के लिये उपस्कर –

S.No.	Name of the Equipment
1	Computer with Modem with UPS, Printer with Internet Connection
2	Xerox Machine
3	Typewriter
4	Intercom
5	Fax Machine
6	Telephone
7	Public Address System

शिक्षण हेतु उपस्कर–

S.No.	Name of the Equipment
1	Furniture for class room, committee/meeting room
2	O.H.P.
3	Screen
4	White/Colour boards
5	Television colour
6	VCD Player
7	Radio
8	LCD Projectors
10	Computer

सामान्य फर्नीचर –

S.No.	Name of the Equipment
1	Doctor's chair for OP Ward, Blood Bank, Lab etc.
2	Doctor's Table
3	Duty Table for Nurses
4	Table for Sterilisation use (medium)
5	Long Benches(6 1/2' x 1 1/2')
6	Stool Wooden
7	Stools Revolving
8	Steel Cup-board
9	Wooden Cup Board
10	Racks -Steel - Wooden
11	Patients Waiting Chairs {Moulded)
12	Attendants Cots
13	Office Chairs
14	Office Table
15	Footstools
16	Filing Cabinets (for records)
17	M.R.D.Requirements (record room use)
18	Paediatric cots with railings
19	Cradle
20	Fowler's cot
21	Ortho Facture Table
22	Hospital Cots (ISI Model)
23	Back rest
24	Dressing Trolley (SS)
25	Medicine Almairah
26	Bin racks (wooden or steel)
27	ICCU Cots
28	Bed Side Screen (SS-Godrej Model)
29	Medicine Trolley(SS)
30	Case Sheet Holders with clip(S.S.)
31	Bed Side Lockers (SS)
32	Examination Couch (SS)

33	Instrument Trolley (SS)
34	Instrument Trolley Mayos (SS)
35	Surgical Bin Assorted
36	Wheel Chair (SS)
37	Stretcher / Patience Trolley (SS)
38	Instrument Tray (SS) Assorted
39	Kidney Tray (SS) - Assorted
40	Basin Assorted (SS)
41	Basin Stand Assorted (SS)
	(2 basin type)
	(1 basin type)
42	Delivery Table (SS Full)
43	Blood Donar Table
44	02 Cylinder Trolley(SS)
45	Saline Stand (SS)
46	Waste Bucket (SS
47	Dispensing Table Wooden
48	Bed Pan (SS)
49	Urinal Male and Female
50	Name Board for cubicals
51	Kitchen Utensils
52	Containers for kitchen
53	Plate, Tumblers
54	Waste Disposal - Bin / drums
55	Waste Disposal - Trolley (SS)
56	Linen Almirah
57	Stores Almirah
58	Arm Board Adult
59	Arm Board Child
60	SS Bucket with Lid
61	Bucket Plastic
62	Ambu bags
63	O_2 Cylinder with spanner ward type
64	Diet trolley - stainless steel
65	Needle cutter and melter
66	Thermometer clinical
	Thermometer Rectal
67	Torch light
68	Cheatles forceps assortted
69	Stomach wash equipment
70	Infra Red lamp
71	Wax bath
72	Emergency Resuscitation Kit-Adult
73	Enema Set

आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले संलग्नक –

फोटोग्राफ :

1. टीचिंग ब्लाक के पूरे भवन के सामने का, पूरे भवन के पीछे का, कक्षाओं की आन्तरिक, प्रधानाचार्य कक्ष की, लाइब्रेरी, रिशेप्शन, की फोटोग्राफ।

2. अस्पताल के विभिन्न कोणों व आन्तरिक साज–सज्जा एवं उपकरण/उपस्कर इत्यादि को दिखाते हुये स्पष्ट फोटोग्राफ।

3. सम्बन्धित प्रशिक्षण की विशेषज्ञता की उपलब्ध सुविधाओं को दिखलाते हुये स्पष्ट आन्तरिक फोटोग्राफ।

दस्तावेज :

4. संस्था (सोसा0/ट्रस्ट/कम्पनी) का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र।

5. संस्था के बाइलाज/मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएसन

6. प्रश्नगत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का केन्द्र खोलने हेतु सोसा0/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा पारित रिजोल्यूशन/प्रस्ताव की प्रति।

7. संस्था की बैलेन्सशीट (पिछले 2 वर्षो की)

8. प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि (टीचिंग ब्लाक) एवं चिकित्सालय की भूमि के मालिकाना हक का प्रमाण–पत्र/प्रपत्र (संस्था का ही हो) जो राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी प्राधिकरण (तहसीलदार) से कम न हो से प्रमाणित प्रति/खतौनी की मूल प्रति अथवा उपनिबन्धक द्वारा सत्यापित विलेख की प्रति, यदि संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो और भूमि कृषि योग्य हो तो निबन्धन धारा 143 के अर्न्तगत भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें एवं प्रशिक्षण केन्द्र (टीचिंग ब्लाक) एवं चिकित्सालय का प्रमाणित मानचित्र (ब्लू प्रिन्ट)।

9. अस्पताल के मालिकाना हक का प्रमाण–पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी का पंजीयन प्रमाण–पत्र जिसमें बेड संख्या एवं वैधता तिथि (जारी होने की तिथि एवं समाप्त होने की तिथि) अंकित हो तथा ऑनलाईन पद्धति का (संस्था का ही हो)।

10. स्वयं के अस्पताल का उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोड (सरकारो) द्वारा जारी वर्तमान पंजीयन प्रमाण–पत्र जिसमें बेड संख्या एवं वैधता तिथि (जारी होने की तिथि एवं समाप्त होने की तिथि) अंकित हो तथा ऑनलाईन पद्धति का।

11 मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रदत्त वर्तमान अग्नि शमन प्रमाण–पत्र (टीचिंग ब्लाक एवं चिकित्सालय दोनों का) स्थायी (प्रोविजनल/मैनुअल नहीं) जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो (ऑनलाईन पद्धति)।

12. वर्तमान कार्यरत कर्मचारी – अस्पताल/प्रशिक्षण केन्द्र की सूची।

13. लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों/जर्नल्स की सूची भी संलग्न करें।

14. प्रास्पेक्ट्स में दिये शपथ–पत्र को रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर संलग्न करना आवश्यक है।

नोटः 1. चिकित्सालय पंजीयन प्रमाण–पत्र/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रदत्त वर्तमान अग्नि शमन प्रमाण–पत्र (टीचिंग ब्लाक एवं चिकित्सालय दोनों का) स्थायी (प्रोविजनल/मैनुअल नही) जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो (ऑनलाईन पद्धति) की अनुपलब्धता की स्थिति में किसी भी दशा में आवेदन पत्र कार्यालय में जमा नहीं किया जायेगा।

2. यदि ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी/संस्थान के नाम 12.50 एकड़ से अधिक भूमि है, उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 सपठित उ0प्र0 जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के सुसंगत प्राविधानों के अर्न्तगत राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन का अनुमति पत्र।

शपथ–पत्र का प्रारूप–1

शपथ पत्र

आवेदन पत्र के साथ रूपये 100/–क स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र
(आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

1. मैं शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी संस्था (संस्था का नाम) ..... प्रशिक्षण केन्द्र का नाम व पता .....के द्वारा .....(कोर्स का नाम)..... .... नर्सिंग/पैरामेडिकल क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण उ0प्र0 सरकार की अनुमति के बिना नहीं चलाया जा रहा है।
2. मै बचन देता हूँ/देती हूँ कि भविष्य में भी उ0प्र0 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग/पैरामेडिकल के पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य पाठ्यक्रम कोई प्रशिक्षण नहीं चलाऊँगा/चलाऊँगी।
3. यह कि प्रशिक्षण केन्द्र व उससे संबंधित अस्पताल, भूमि का मालिकाना हक मेरी संस्था का ही है। उक्त भूमि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/प्राधिकरण की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं है और न ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।
4. यह कि उक्त प्रशिक्षण से संबंधित मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/सक्षम न्यायालय अथवा न्यायिक अभिकरण में किसी भी प्रकार का दीवानी/फौजदारी वाद विचाराधीन/लम्बित नहीं है और ना ही किसी प्रकार का स्थगन आदेश ही प्राप्त हुआ है।
5. मैं राज्य सरकार व उ0प्र0 मेडिकल फैकल्टी के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों व निर्णयों का पालन करूँगा/करूँगी। यदि संस्था द्वारा किसी भी दिशा–निर्देशों/मानकों का उल्लंघन किया जाता है/आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख/प्रपत्र फर्जी पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाये।

दिनाँक :–

सक्षम प्राधिकारी
संस्था का नाम /पता

शपथ पत्र का प्रारूप–2

आवेदन पत्र के साथ रूपये 100/–के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र
(आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

1. मैं शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी संस्था (संस्था का नाम) ....(प्रशिक्षण केन्द्र का नाम व पूरा पता)..... के द्वारा ..... पाठ्यक्रम हेतु आवेदन किया गया है।
2. संस्था के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में ..... भूमि है, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 89 में उल्लिखित सीमा 5.0586 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है। (और यदि है तो धारा 89 (3) के अर्न्तगत राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त अनुमति प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)

दिनाँक :–

सक्षम प्राधिकारी
संस्था का नाम /पता